न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 36 / 2018

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. वासुदेव पुत्र खेमचन्द जाति सिन्धी निवासी नेहरू नगर बाड़मेर (मैसर्स श्री महालक्ष्मी किराणा स्टोर, रेल्वे स्टेशन के सामने जिला बाड़मेर का मैनेजर) 2. राकेश कुमार पुत्र पारस मल जाति जैन निवासी कल्याणपुरा जिला बाड़मेर (मैसर्स महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, कॉ–बैंक के सामने, लक्ष्मी बाजार बाड़मेर का मालिक) 3. रमेश लोहिया, भगन चौकी, नियर राठी पोल, जोधपुर (मैसर्स लोहीया एण्ड कम्पनी एफ– II / 5 मण्डोर मण्डी का सोल प्रोप्राइटर) 4. जे के शर्मा नामिनि परसर ऑफ मैसर्स क्वालिटी डेयरी (इण्डिया) लिमिटेड गांव सोफटा जिला पलवाल (121004) हरयाणा

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री जसवंत बोहरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित।
4. शेष अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

आदेश

दिनांक : 25.08.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स श्री महालक्ष्मी किराणा स्टोर, रेल्वे स्टेशन के सामने जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **19.08.2016** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी बेस्ट (500 एमएल पैकिंग)** जो कि अलग–अलग कार्टूनों में भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 पैकेट **घी ब्राण्ड डेयरी बेस्ट (500 एमएल पैकिंग)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–674** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी बेस्ट (500 एमएल पैकिंग)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड डेयरी बेस्ट (500 एमएल पैकिंग)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित जिन्हें जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। शेष अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी व अधिवक्तागण अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **30.08.2016** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **अवमानक** पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थीगण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर रूपये 50,000/–, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पर संयुक्त रूप से रूपये 1,00,000/– तथा अप्रार्थी संख्या 4 पर रूपये 1,50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:59 IST
Reason: SelfAttested